

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

मु. नं.....36/21.....

केसम मुकदमा ->

सरकार जरिये तहसीलदार मंडावर बनाम अन्तराम वगै.

अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

प्रशासन गांवों के संग अभियान के अन्तर्गत कैम्प ग्राम पंचायत पाखर में तहसीलदार मंडावर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.भि.) नियम 1957 के नियम 58, 59 व 60 एवं 66, 86 के अन्तर्गत, इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नंबर 1461 स्थित ग्राम.पाखर-1 पटवार हल्का पाखर प्रथम तहसील मंडावर जिला दौसा जिस पर मौके पर सार्वजनिक रास्ता बना हुआ है एवं रास्ते के उपयोग में आ रहा है। किन्तु राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित नहीं है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। तहसीलदार मण्डावर द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सार्वजनिक रास्ता के रूप में उपयोग में आ रही भूमि को नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु निवेदन किया है। उक्त प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि के निजी खातेदारों को अपना पक्ष दिनांक 10.12.2021 को प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। उक्त तिथि को आंशिक खातेदारान द्वारा अपनी असहमति इस न्यायालय में प्रस्तुत की। जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि उक्त रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि निजी खातेदारान की है एवं सम्पूर्ण खातेदारों द्वारा प्रस्तावित रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु अपना पक्ष इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। आंशिक खातेदारो द्वारा ही असहमति दी गई। बिना सम्पूर्ण खातेदारो की सहमति के उनकी खातेदारी भूमि से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः तहसीलदार. मंडावर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 को सम्पूर्ण खातेदारों के द्वारा प्रस्तावित रास्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु सहमति नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर(दौसा)

